कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3631/2019 निर्मला शर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा सुश्री निर्मला शर्मा के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 29.11.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील अधिकरण–3631/निर्मला शर्मा/2019 दिनांकः 17.12.2019 द्वारा सुश्री निर्मला शर्मा, प्रधानाचार्य को राउमावि मुण्डिया रामसर जिला जयपुर में एवं श्रीमती मन्जूलता चौधरी, प्रधानाचार्य को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अपील संख्या 3631/2019 एवं अपील संख्या 54/2020 मंजूलता चौधरी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांकः 24.02.2020 द्वारा विभागीय आलोच्य एपीओ पदस्थापन आदेश दिनांक 24.12.2019 एवं मुख्यालय परिवर्तन आदेश दिनांकः 27.01.2020 को माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी श्रीमती मंजूलता चौधरी की सीमा तक एतद द्वारा अपास्त करते हुए अपीलार्थी निर्मला शर्मा को माननीय अधिकरण के आदेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर जयपुर जिले में तीन रिक्त पद दर्शाते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी निर्मला शर्मा के अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने तक अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 29.11.2019 को प्रभावी रखे जाने बाबत् निर्देशित किया गया था।

माननीय अधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसरण में सुश्री निर्मला शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुण्डिया रामसर जिला जयपुर द्वारा विभाग के समक्ष निर्धारित तिथि तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः श्रीमती निर्मला शर्मा, प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में देते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उनके अन्यत्र पदस्थापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

श्रीमती मन्जूलता चौधरी, प्रधानाचार्य (वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर) के सम्बन्ध में जारी आलोच्य आदेश दिनांकः 24.12.2019 एवं 27.01.2020 को माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है। उक्तानुसार विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 के अपीलार्थी श्रीमती मन्जूलता चौधरी, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति में श्रीमती मन्जूलता चौधरी, प्रधानाचार्य, एपीओ, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डिया रामसर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/निर्मला–मन्जूलता/3631–54/376/2019–20 दिनांकः 18.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)